फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती शान्तादेवी **विपक्षी :– श्रीमती सविताकुंवर**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 41 नि. 19 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 222/18**

क्रमांक	**कार्यवाही विवरण**	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 29.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। विपक्षी सं. 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया गठियावादी की बीमारी से ग्रसित होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी जिसके कारण मूल पत्रावली संख्या 06/07 अपील को राजस्व लोक अदालत अभियान दिनांक 03.06.2015 को बिना पक्षकारान को सूचित किये पक्षकारान की अनुपस्थिति के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रार्थीया द्वारा देरी के लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र जानकारी में आते ही प्रस्तुत कर दिया है जो कि अन्दर मयाद हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का न्याय हित में स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीयां द्वारा कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 06/07 अपील अनवान शान्तादेवी बनाम सविताकुंवर दिनांक 03.06.2015 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2015 कैम्प कोर्ट बांसलिया में अधिवक्ता मय अपीलान्ट दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 03.06.2015 को अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थीयां अधिवक्ता द्वारा समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अन्दर मयाद है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से अपीलान्ट् को सुना जाना आवश्यक हैं, परन्तु देरी के लिए भारी कोस्ट लगाया जाना भी आवश्यक है जिससे भविष्य में अनावश्यक रूप से प्रकरण में लिगांरोहण ना हो। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. का 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील सं. 06/07 अनवान शान्तादेवी बनाम सविताकुंवर में निर्णय दिनांक 03.06.2015 को अपास्त किया जाकर मूल अपील को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली